



उत्तर पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती कक्ष

बिल्डिंग नं. 4- दूसरी मंजिल, केन्द्रीय अस्पताल के सामने,
रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-302006

www.rrcjaipur.in

वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटे के अंतर्गत भर्ती हेतु अधिसूचना

रोजगार सूचना संख्या.-01/2026 (एस&जी कोटा/आरआरसी/एनडब्ल्यूआर) दिनांक 29.06.2026

उत्तर पश्चिम रेलवे में साल 2026-27 के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे के तहत 10 पोस्ट (लेवल-1 के लिए 8 और लेवल-2 के लिए 2) भरने के लिए भारत के योग्य नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। शैक्षणिक और व्यवसायिक (स्काउट्स एंड गाइड्स) योग्यता (नीचे पैरा-1.1 और 1.2 में बताया गया है) वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी रेलवे भर्ती सेल, जयपुर की वेबसाइट WWW.rrcjaipur.in पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	29/06/2026
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि	08/07/2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	07/08/2026 @ 23.59 hrs.

महत्वपूर्ण:

- कृपया इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की वेबसाइट - www.rrcjaipur.in पर उपलब्ध हैं।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फायदे के लिए अंतिम तिथि से पर्याप्त पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें, ताकि वेबसाइट पर ज्यादा लोड/जाम होने की वजह से आवेदन जमा न कर पाने की कोई संभावना न रहे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में पर्सनल ई-मेल ID और मोबाइल नंबर भरें। अगर अभ्यर्थियों के पास वैध पर्सनल ई-मेल ID नहीं है, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी ई-मेल ID बना लेनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया खत्म होने तक उस ई-मेल ID और मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना होगा। ई-मेल या SMS की डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। अभ्यर्थियों को अपना स्पैम ई-मेल फोल्डर भी चेक करना चाहिए।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित/आगे के अपडेट्स के लिए रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की वेबसाइट (यानी www.rrcjaipur.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

1. "भरी जाने वाली रिक्तियों का विवरण और पात्रता की शर्तें":-

क्र.सं.	पद	पे लेवल	न्यूनतम शुरुआती पारिश्रमिक	पदों की संख्या	पदों का वितरण
01	ग्रेड "सी" गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी)	7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स का लेवल-2	19900/- प्रति माह सामान्य भत्ते देय	02 (दो)	उत्तर पश्चिम रेलवे
02.	लेवल-1	7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स का लेवल-1	18000/- प्रति माह सामान्य भत्ते देय	08 (आठ)	उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर मंडलों के लिए 02 पदा

नोट :- (i) लेवल-2 (ग्रेड पे ₹1900/-) और लेवल-1 (ग्रेड पे ₹1800/-) के लिए अलग-अलग भरे जाने चाहिए।

(ii) ये पद सभी समुदायों के लिए खुले हैं और किसी भी समुदाय के लिए कोई आरक्षण (Reservation) नहीं है।

1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

क्र.सं.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	लेवल- 2 (एनटीपीसी)	12वीं (+2 स्टेज) या बराबर की परीक्षा, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक हों। (एनटीपीसी) NTPC श्रेणी के लिए कुल मिलाकर 50% अंक जरूरी होंगे। SC/ST/एक्स-सर्विसमें कैंडिडेट और स्नातक/स्नातकोत्तर जैसी उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक आवश्यक नहीं हैं।
2	लेवल- 1	10वीं पास या ITI या समकक्ष या NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC)

1.2 स्काउट्स और गाइड्स योग्यता: (लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए)

- a) किसी भी सेक्शन में राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या हिमालयन वुड बैज (HWB) धारक होना चाहिए।
b) पिछले 5 (पाँच) वर्षों (यानी 2020-21 से अब तक) से स्काउट संगठन का एक सक्रिय सदस्य (Active Member) होना चाहिए। "सक्रियता का प्रमाण पत्र" (Certificate of Activeness) संलग्नक-8 (अनुलग्नक-8) के अनुसार होना चाहिए।
c) संलग्नक -9 (अनुलग्नक-9) के अनुसार, दो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर (National Level) या अखिल भारतीय रेलवे स्तर (All Indian Railways' level) पर और दो कार्यक्रम राज्य स्तर (State level) पर प्रतिभागिता की हो।
नोट:- अधिसूचना के पैरा 10 के अनुसार संलग्न अतिरिक्त प्रमाणपत्रों के लिए अंक (Marks) दिए जाएंगे।

2. आयु सीमा:-

पद	आयु वर्ग	जन्म की अधिकतम तिथि			सभी श्रेणियों के लिए जन्म की न्यूनतम तिथि"	विवरण
		यूआर / ईडब्ल्यूएस	ओबीसी	एससी/ एसटी		
लेवल-2	18 से 27+3=30 (अनारक्षित के लिए) साथ ही अजा/अजजा के लिए 5 साल अपिव के लिए 3 साल	02-07-1996	02-07-1993	02-07-1991	01-07-2008	नीचे दिए गए Para 3.1 से 3.4 में दी गई श्रेणी के लिए उम्र में छूट लागू होगी, जैसा कि हर श्रेणी के सामने बताया गया है।
लेवल-1	18 से 30+3=33 (अनारक्षित के लिए) साथ ही अजा/अजजा के लिए 5 साल अपिव के लिए 3 साल	02-07-1993	02-07-1990	02-07-1988	01-07-2008	नीचे दिए गए Para 3.1 से 3.5 में दी गई श्रेणी के लिए उम्र में छूट लागू होगी, जैसा कि हर श्रेणी के सामने बताया गया है।

नोट:-1. उम्मीदवारों की जन्मतिथि पैरा-2 में दी गई तारीखों के बीच होनी चाहिए। (दोनों तारीखें शामिल हैं)

- "उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, एक बार जब उसके द्वारा जन्मतिथि का दावा कर दिया जाता है और परीक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से प्रशासन के रिकॉर्ड में उसे दर्ज कर लिया जाता है, तो उसके बाद किसी भी आधार पर उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जन्मतिथि के लिए 10वीं/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट / समकक्ष शैक्षणिक प्रमाणपत्र / शैक्षणिक प्रमाणपत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अनिवार्य हैं; अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

* आयु की निचली और ऊपरी सीमा की गणना 01/07/2026 के आधार पर की जाएगी।

3. आयु में छूट की सीमा

उपरोक्त पैरा-2 में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:-

- 3.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में रक्षा सेवाओं में बिताए गए समय + 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने 'साक्ष्यांकन' (Attestation) के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा की हो।
- 3.2 अनारक्षित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष की छूट, अजा/अजजा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट।
- 3.3 विधवा, तलाकशुदा और न्यायिक रूप से अलग ऐसी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह (Remarried) नहीं किया है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष एवं अजा/अजजा वर्ग के लिए 40 वर्ष।
- 3.4 वर्तमान में कार्यरत ग्रुप-C और लेवल-1 रेलवे कर्मचारी, कैजुअल लेबर और 'सब्सट्यूट' जिन्होंने कम से कम 03 साल की सेवा (लगातार या रुक-रुक कर) पूरी कर ली है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष एवं अजा/अजजा वर्ग के लिए 45 वर्ष।
रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासकीय कार्यालयों जैसे कि रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के बराबर होगी, जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक सीमित है।
- 3.5 लेवल-1 के लिए एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को उम्र में छूट मिलेगी।

श्रेणियाँ	यूआर और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर	एससी/एसटी
कोर्स पूरा कर चुके एक्ट अप्रेंटिस उन पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनके लिए न्यूनतम योग्यता ITI / कोर्स पूरा कर चुके एक्ट अप्रेंटिसशिप है।	33 साल की उम्र और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ली गई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की सीमा, जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल होगी।	36 साल की उम्र और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ली गई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की सीमा, जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल होगी।	38 साल की उम्र और साथ ही अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ली गई अप्रेंटिस ट्रेनिंग की सीमा, जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल होगी।
वे अभ्यर्थी जिन्होंने 25 साल की उम्र से पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत कोर्स पूरा कर लिया है।	35 वर्ष	38 वर्ष	40 वर्ष

4. परीक्षा शुल्क

4.1 देय शुल्क:-

(I)	नीचे क्रम संख्या II में बताई गई फीस में छूट वाली श्रेणी को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए इस 500 रुपये की फीस में से 400 रुपये लिखित परीक्षा/CBT में बैठने पर लगने वाले बैंक चार्ज काटकर सही समय पर वापस कर दिए जाएंगे।	₹ 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र)
(II)	अजा/अजजा/ अल्पसंख्यक समुदाय* / आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग** PwBD***/ महिला / ट्रांसजेंडर/ भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए यह ₹250 का शुल्क CBT/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर, लागू बैंक शुल्कों की कटौती करने के बाद उचित समय पर वापस कर दिया जाएगा।"	₹ 250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र)

आवेदन करते समय, फीस में छूट/रिफंड का दावा करने वाले अभ्यर्थी को बताए गए प्रारूप में ज़रूरी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा, जैसे SC/ST/Ex SM/माइनोंरिटीज़/EBC/PwBD.

* अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन (पारसी) और जैन।

** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) का मतलब है वे लोग जिनके परिवार की सालाना आय 50,000/- रुपये से कम है।

*** बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग (PwBD) – सिर्फ़ वही अभ्यर्थी सर्विस/पोस्ट में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत प्रसंगिक डिसेबिलिटी से पीड़ित हों।

4.2 यदि कोई उम्मीदवार लेवल-2 और लेवल-1 दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे अलग- अलग आवेदन पत्र और अलग- अलग आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

4.3 परीक्षा शुल्क से छूट/रिफंड का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अनुलग्नक-5 में बताए अनुसार 'self declaration' अपलोड करनी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय, शुल्क छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को **हलफनामे (गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर)** पर '**अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा**' प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। **यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

4.4 परीक्षा शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, EBC (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) से संबंधित उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय **अनुलग्नक-4/BPL/Izzat MST** में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना होगा और दस्तावेज सत्यापन के समय उसे प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों पर जारी करने वाले अधिकारी की सील/मोहर होनी अनिवार्य है।

आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट (DM) या तहसीलदार के स्तर तक का कोई भी अन्य राजस्व अधिकारी।
- (ii) लोकसभा के वर्तमान सांसद (Member of Parliament) - केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।
- (iii) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी 'Izzat MST'।
- (iv) केंद्रीय मंत्री - देश के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।
- (v) राज्यसभा के वर्तमान सांसद - उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहाँ वे सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं।

4.5 आवेदन पत्र में विवरणों (Particulars) की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ जोड़ा गया है। नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान 07.08.2026 को रात 23:59 बजे (11:59 PM) तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद किसी भी बदलाव या संपादन (Edit) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.6 "कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई आदि का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाए गए लेन- देन शुल्क यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किए जाएंगे।"

4.7 लेन- देन सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई जानकारी और तारीख के साथ एक ई- रसीद तैयार होगी, जिसे उम्मीदवार द्वारा सेव/ प्रिंट करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना होगा।

4.8 यदि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, ऑनलाइन लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता है, तो कृपया ऑनलाइन भुगतान दोबारा करें। यदि भुगतान दो बार हो जाता है, यानि एक से अधिक बार पैसे कट जाते हैं, तो सत्यापन करने के बाद अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी।"

4.9 उम्मीदवारों को उस लाभार्थी बैंक खाते का सही विवरण देना चाहिए जिसमें वे रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे: लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड। यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय देनी होगी, ताकि उपरोक्त पैरा 4.1 के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटने के बाद शुल्क की वापसी की सुविधा दी जा सके।

4.10 उन उम्मीदवारों का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा जो अयोग्य पाए जाते हैं।

4.11 उपरोक्त पैरा 4.1 के अनुसार शुल्क की वापसी बैंक शुल्कों की कटौती के बाद केवल उम्मीदवारों को की जाएगी जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा/CBT में उपस्थित होते हैं।

5. सामुदायिक सर्टिफिकेट:-

5.1 स्काउट एवं गाइड कोटे के अंतर्गत आने वाले पद सभी श्रेणियों के लिए खुले हैं। SC/ST/OBC श्रेणियों से संबंधित जो उम्मीदवार स्काउट एवं गाइड कोटे के तहत आवेदन करते हैं, उन्हें आयु सीमा में वैसी ही छूट दी जाएगी जैसी सामान्य ओपन मार्केट भर्ती में मान्य होती है।"

5.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5) से निर्धारित प्रारूप में समुदाय प्रमाण- पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में (केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए

निर्धारित) अपलोड करना होगा। जैसा कि अनुलग्नक-1 में दिया गया है। साथ ही, दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- 5.3 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्तमान वर्ष 2026-27 के लिए मान्य नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र सहित जाति प्रमाण पत्र केंद्रीय सरकार के निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-2 के अनुसार) में, सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5(1) से 5.5(3)) द्वारा 01.04.2026 या उसके बाद जारी किया हुआ, अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र में जाति, जारी करने की तिथि आदि विवरण होने चाहिए तथा जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए।

या

वे अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जिन्होंने नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र तथा नवीनतम नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5(1) से 5.5(3)) द्वारा जारी मौजूदा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र (केंद्रीय सरकार के प्रारूप, अनुलग्नक-2 के अनुसार) अपलोड करना होगा। साथ ही उन्हें नॉन-क्रीमी लेयर की वर्तमान स्थिति के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक-3 के अनुसार) को अनिवार्य रूप से भरकर अपलोड करना होगा।

- 5.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण

वे अभ्यर्थी जो SC/ST/OBC-NCL आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें EWS आरक्षण के लाभ हेतु पात्र माना जाएगा। आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि, जो आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की होगी। यहाँ वित्तीय वर्ष 2026-2027 माना जाएगा, क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 07.08.2026 है।

साथ ही, जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्न में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें परिवार की आय पर विचार न करते हुए EWS श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा:

- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
- 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट

EWS स्थिति निर्धारित करते समय, "परिवार" के पास विभिन्न स्थानों/शहरों में मौजूद सभी संपत्तियों को जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए "परिवार" में अभ्यर्थी स्वयं, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी (पैरा 5.5 (1) से (4)) द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। केवल अनुलग्नक-7 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र ही EWS श्रेणी के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

EWS आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय अनुलग्नक-7 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो EWS आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और यदि अभ्यर्थी सामान्य (UR) श्रेणी की पात्रता पूरी करता है, तो उसकी उम्मीदवारी केवल सामान्य (UR) श्रेणी में ही विचार की जाएगी।

5.5 जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/तहसील मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से कम न हों।
- उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी (SDO) जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता हो।
- केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित किया गया हो।
- प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, मिनिर्कोय एवं अंडमान निकोबार द्वीप)।

6. सेवारत कर्मचारियों के लिए (अनापत्ति प्रमाण पत्र):

किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग (रेलवे सहित) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी (प्रशिक्षण/परिवीक्षा पर रहने वाले सहित) अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट:- अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके नियोक्ता द्वारा रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को परीक्षा में आवेदन करने/उपस्थित होने की अनुमति न देने संबंधी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनकी आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द की जा सकती है।

7. सामान्य निर्देश:-

- 7.1 किसी भी स्तर के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थान/NCVT/SCVT से आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी एवं स्काउट और गाइड योग्यताएं होनी चाहिए। अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन न करें। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है कि अभ्यर्थी आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो रेलवे भर्ती सेल उसका आवेदन अस्वीकार कर सकता है। यदि ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति हो जाती है, तो उसे सेवा से तत्काल हटाया जा सकता है।
- 7.2 वे अभ्यर्थी जिन्हें सभी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती सेल परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है या जिन पर निर्धारित अवधि का प्रतिबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है, वे आवेदन न करें। ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी किसी भी चरण में पता लगने पर रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति हो जाती है, तो उन्हें सेवा से तुरंत हटाया जा सकता है।
- 7.3 रेलवे भर्ती सेल द्वारा चयनित होने से अभ्यर्थी को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।
- 7.4 चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित पद के लिए निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा।
- 7.5 प्रारंभिक नियुक्ति पर संबंधित स्तर का न्यूनतम वेतन देय होगा, साथ ही उस समय लागू अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवश्यक होने पर अभ्यर्थियों से सुरक्षा जमा राशि और क्षतिपूर्ति लिया जा सकता है।
- 7.6 अजा/अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/CBT/प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर, वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नियमानुसार मुफ्त द्वितीय श्रेणी रेलवे पास प्रदान किया जाएगा।
- 7.7 रोजगार सूचना की शर्तों एवं नियमों में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार किए गए किसी भी परिवर्तन मान्य होंगे। रेलवे भर्ती सेल का आवश्यकता अनुसार भर्ती से संबंधित शर्तों में संशोधन/परिवर्तन/जोड़/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 7.8 नियुक्ति के लिए सभी प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- 7.9 यदि अभ्यर्थी लिपिकीय पद के लिए चयनित होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से 2 वर्षों के भीतर टाइपिंग दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें न्यूनतम गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके लिए अधिकतम तीन अवसर ही दिए जाएंगे, अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। असफल होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- 7.10 लिखित परीक्षा/CBT/प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक/दस्तावेज सत्यापन की तिथि, स्थान एवं समय वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। पात्रता, आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने तथा परीक्षा केंद्र आवंटन से संबंधित सभी मामलों में उत्तर पश्चिम रेलवे का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 7.11 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए शीघ्र सूचना पर भी बुलाया जा सकता है।

8. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़:

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्पष्ट (पढ़ने योग्य) स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

- 8.1 निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (पैरा 1.1 के अनुसार) की मार्कशीट/प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष की स्कैन कॉपी।
- 8.2 आवश्यक व्यावसायिक (स्काउट एवं गाइड) योग्यता (पैरा 1.2 के अनुसार) के प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी।
- 8.3 जन्म तिथि के प्रमाण के लिए स्कैन कॉपी (10वीं/मैट्रिक प्रमाण पत्र/समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)।
- 8.4 अजा/अजजा/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-1 एवं 2 के अनुसार) की स्कैन कॉपी तथा जहाँ लागू हो, नॉन-क्रीमी लेयर की वर्तमान स्थिति के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक-3 के अनुसार)।
- 8.5 EBC अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-4 के अनुसार) की स्कैन कॉपी।
- 8.6 आयु में छूट (पैरा 3 के अनुसार) और परीक्षा शुल्क में छूट (पैरा 4 के अनुसार) का दावा करने हेतु संबंधित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी।
- 8.7 किसी भी सेक्शन में राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या हिमालयन वुड बैज (HWB) धारक होने के प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी।
- 8.8 "सक्रियता प्रमाण पत्र" (अनुलग्नक-8 के अनुसार) की स्कैन कॉपी।
- 8.9 "भाग लिए गए कार्यक्रमों का विवरण" (अनुलग्नक-9 के अनुसार) की स्कैन कॉपी।
- 8.10 आवेदन फॉर्म अपलोड करने के बाद अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाण पत्र/फोटो आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 8.11 आधार कार्ड की स्कैन कॉपी।
- 8.12 स्कैन किया हुआ फोटो और हस्ताक्षर

नोट :-

(i) स्कैन किया हुआ फोटो / फोटो की सॉफ्ट कॉपी

- क) अभ्यर्थियों को अपना रंगीन फोटो अपलोड करना अनिवार्य है (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो आवेदन की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना न हो)। फोटो JPG/JPEG फॉर्मेट में, 100 DPI के साथ होना चाहिए तथा फाइल का आकार 20 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। फोटो में अभ्यर्थी का सामने से स्पष्ट चेहरा दिखाई देना चाहिए, बिना टोपी और सनग्लासेस के।
- ख) रंगीन फोटो वेब नोटिस के प्रकाशित होने के बाद किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में लिया गया होना चाहिए। मोबाइल से ली गई या स्वयं खींची गई फोटो के कारण आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- घ) फोटो अभ्यर्थी के वास्तविक रूप से मेल खानी चाहिए, जैसा कि लिखित परीक्षा/CBT/प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक/दस्तावेज़ सत्यापन तथा मेडिकल परीक्षण के दिन होगा।
- ङ) यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनता है, तो फोटो में चश्मे पर कोई चमक/प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए।
- च) अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि RRC, NWR किसी भी चरण में पुराने/अस्पष्ट फोटो अपलोड करने या आवेदन में अपलोड की गई फोटो और अभ्यर्थी के वास्तविक स्वरूप में महत्वपूर्ण अंतर होने पर आवेदन अस्वीकार कर सकता है।
- छ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए उसी फोटो की कम से कम 8 (आठ) अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें।

(ii) स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर / हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी

अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य है (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, JPG/JPEG फॉर्मेट, 100 DPI, फाइल का आकार 20 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए)। स्कैन किया गया हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए तथा रनिंग हैंड (सामान्य हस्तलिपि) में होना चाहिए, न कि BLOCK/कैपिटल अक्षरों या अलग-अलग अक्षरों में।

9. अमान्य आवेदन / अस्वीकृति

निम्न कमियों वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे:

- बिना स्कैन किए हुए हस्ताक्षर/फोटो वाले आवेदन।
- ऐसे आवेदन जिनमें हस्ताक्षर तो स्कैन किया गया हो, लेकिन BLOCK / कैपिटल अक्षरों या अलग-अलग अक्षरों में हो।
- ऐसे आवेदन जिनमें फोटो तो अपलोड हो, लेकिन अभ्यर्थी ने चश्मा/गॉगल्स या टोपी (स्काउट एवं गाइड यूनिफॉर्म की टोपी भी मान्य नहीं) पहन रखी हो, या विग/रंगीन चश्मा पहना हो, या फोटो विकृत /छोटी /पहचान योग्य न हो।
- आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी एवं व्यावसायिक (स्काउट एवं गाइड) योग्यता न होना, तथा अनुलग्नक -8 एवं अनुलग्नक -9 का जमा न करना।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध जाति प्रमाण पत्र का अभाव।
- आयु में छूट या शुल्क में छूट का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों का अभाव।
- आयु के प्रमाण का अभाव।
- अधिक आयु या कम आयु के अभ्यर्थियों के आवेदन, या जहां अपलोड किया गया जन्म तिथि का प्रमाण –पत्र अपठनीय हो, जन्म तिथि भरी न गई हो या गलत भरी गई हो।
- किसी भी प्रकार से गलत/अपूर्ण आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- एक ही पद के लिए अलग-अलग या थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन।
- जहां लागू हो, ₹500/- या ₹250/- की परीक्षा शुल्क का भुगतान न करना या कम शुल्क जमा करना।
- जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रतिबंधित सूची में हो।
- अपलोड किए गए दस्तावेज अस्पष्ट हों।
- अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता, जिसे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उ. प. रे., जयपुर द्वारा अमान्य माना जाए।

10. स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया (दोनों स्तरों के लिए)

जो अभ्यर्थी इस अधिसूचना के अनुसार आवेदन करते हैं और स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र पाए जाते हैं, उनका मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

(ए)	लिखित परीक्षा	60 अंक
	लिखित परीक्षा में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) तथा 1 निबंध प्रकार का प्रश्न (20 अंक) होगा। यह प्रश्न स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन, उसकी गतिविधियों तथा सामान्य ज्ञान (लेवल-1 और लेवल-2 दोनों के लिए) से संबंधित होंगे। इसका पाठ्यक्रम पैरा 11 के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंकन लागू होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के निर्धारित अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) होगा। अभ्यर्थी परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं।	
(बी)	प्रमाण पत्रों पर अंक	40 अंक
	(i) राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम / राष्ट्रीय जम्बूरी में सहभागिता/ की गई सेवा(सभी अखिल भारतीय रेल कार्यक्रम शामिल हैं।)	10 अंक
	* पहले दो प्रमाण- पत्र (न्यूनतम पात्रता)–	कोई अंक नहीं
	* एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	* दो या अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	10 अंक
	(ii) राज्य स्तरीय कार्यक्रम/रैली में भागीदारी/सेवा	10 अंक
	• पहले दो प्रमाण पत्र कोई अंक नहीं	कोई अंक नहीं
	• एक अतिरिक्त कार्यक्रम 07 अंक	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	10 अंक
	(iii) राष्ट्रीय/राज्य/ अखिल भारतीय रेल स्तर पर आयोजित विशेष स्काउट/गाइड कोर्स	10 अंक
	• एक कोर्स	07 अंक
	• दो या अधिक कोर्स	10 अंक
	(iv) जिला स्तरीय रैली में भागीदारी	10 अंक
	• एक प्रमाण पत्र	कोई अंक नहीं

• दो प्रमाण पत्र	07 अंक
• तीन प्रमाण पत्र	10 अंक
कुल अंक	100 अंक

नोट:-अगले चरण के लिए पात्र होने हेतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर, अधिसूचित पदों की कुल रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण अर्थात् प्रमाण पत्रों के अंक के लिए बुलाया जाएगा।

11. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (दोनों स्तरों के लिए):-

क्र.सं.	विषय	क्र. सं.	विषय
1.	स्काउटिंग /गाइडिंग का इतिहास	16.	स्काउटिंग एवं गाइडिंग के चरण
2.	नियम एवं प्रतिज्ञा	17.	थिंकिंग डे
3.	संगठन – जिला एवं राज्य स्तर	18.	स्काउट्स/ गाइड्स / रोवर्स / रेंजर्स का प्रशिक्षण।
4.	प्रशिक्षण केंद्र – जिला एवं राज्य स्तर	19.	पायनियरिंग
5.	पुस्तकों का ज्ञान	20.	हस्तशिल्प
6.	भारत में “लड़कों के लिए स्काउटिंग / लड़कियों के लिए गाइडिंग”	21.	इंडियन रेलवे जंबोरेट
7.	बांया हाथ मिलाने का उद्देश्य	22.	राष्ट्रीय जंबोरी
8.	सैल्यूट	23.	जंबोरी ऑन द एयर
9.	प्रार्थना	24.	राष्ट्रीय स्तर पर संगठन
10.	ध्वज गीत	25.	राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, WAGGGS / WOSM – उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता
11.	राष्ट्रीय गान	26.	प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता
12.	राष्ट्रीय एवं स्काउटिंग ध्वज का ज्ञान	27.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम
13.	विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवा	28.	स्काउटिंग के उद्देश्य एवं विधियां
14.	हाइकिंग	29.	स्काउटिंग कैसे बेहतर नागरिक बनाने में सहायक है?
15.	प्रवीणता बैज– इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है?		

12. चिकित्सीय उपयुक्तता (फिटनेस)

नियुक्ति के लिए अनुशासित अभ्यर्थियों को रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार आवश्यक मेडिकल परीक्षण पास करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संबंधित पद के कार्यों को करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सीय फिटनेस में दृष्टि क्षमता एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

नोट: जो अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन निर्धारित मेडिकल परीक्षण में असफल होते हैं, उन पर किसी भी परिस्थिति में किसी वैकल्पिक नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

13. आवेदन कैसे करें

13.1 सबसे पहले अभ्यर्थी इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट में) तैयार रखने की सलाह दी जाती है:

a) पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (20 से 70 KB)

b) स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (20 से 30 KB)

c) जन्म तिथि, शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक (स्काउट्स एवं गाइड) योग्यता, जाति (SC/ST/OBC/EWS) के प्रमाण पत्र की कॉपी

d) आयु में छूट तथा शुल्क छूट/रिफंड के लिए आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज की कॉपी

13.2 रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर जाएं।

13.3 Scouts & Guide Quota 2026-27 की नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

13.4 दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

13.5 “New Registration” लिंक पर क्लिक करें।

- 13.6 अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें। (अपना व्यक्तिगत ई-मेल और मोबाइल नंबर ही दें, क्योंकि भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं इसी पर भेजी जाएंगी।)
- 13.7 आवश्यक जानकारी जमा करने के बाद, पंजीकृत ई-मेल/मोबाइल नंबर पर ई-मेल/SMS प्राप्त होगा।
- 13.8 अपने ई-मेल/SMS इनबॉक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें।
- 13.9 रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, जैसे दस्तावेज़ अपलोड करना, शुल्क जमा करना, आधार सत्यापन आदि।
- 13.10 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पहचान को आधार विवरण के माध्यम से डिजिटलॉकर में सत्यापित करें। इससे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सुविधा होगी। यदि अभ्यर्थी अन्य फोटो आईडी से सत्यापन करते हैं, तो उन्हें हर चरण में अधिक कड़ी जांच से गुजरना पड़ सकता है।
- 13.11 फोटो, हस्ताक्षर तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी (जैसा कि 13.1 (a) से (d) में बताया गया है) अपलोड करें।
- 13.12 अभ्यर्थियों को भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा।
- 13.13 आवेदन सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।
- 13.14 अभ्यर्थियों को (अनुलग्नक-9) में निम्न विवरण भरकर अपलोड करना अनिवार्य है:
- (a) राष्ट्रीय कार्यक्रम/नेशनल जंबोरी (ऑल इंडिया रेलवे इवेंट सहित) में भागीदारी/सेवा
- (b) राज्य स्तरीय कार्यक्रम/रैली में भागीदारी/सेवा
- (c) राष्ट्रीय/राज्य/ऑल इंडिया रेलवे स्तर पर आयोजित विशेष स्काउट/गाइड कोर्स
- (d) जिला स्तरीय रैली में भागीदारी
- उपरोक्त के संबंध में, पैरा 1.2 में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ये प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल वे प्रमाण पत्र, जिनका विवरण अनुलग्नक-9 में दिया गया है, दस्तावेज़ सत्यापन/प्रमाण पत्रों के अंक के दौरान जांचे जाएंगे।

14. विविध:-

- 14.1 यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की अनियमितता/कमी पाई जाती है, तो रेलवे भर्ती सेल भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
- 14.2 रेलवे भर्ती सेल किसी भी चरण में अतिरिक्त लिखित परीक्षा/प्रमाण पत्रों के अंक/दस्तावेज़ सत्यापन कराने का अधिकार रखता है। साथ ही, रेलवे भर्ती सेल बिना कोई कारण बताए, इस रोजगार सूचना के अंतर्गत किसी भी श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी भी चरण में रद्द करने का अधिकार भी रखता है।
- 14.3 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति, निःशुल्क रेलवे पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए दंड, चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित अभ्यर्थियों को पद आवंटन आदि सभी मामलों में रेलवे भर्ती सेल का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती सेल द्वारा कोई पत्राचार/पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 14.4 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।
- 14.5 रेलवे भर्ती सेल किसी भी अनजाने त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.6 किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में अधिकार क्षेत्र केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जयपुर होगा।
- 14.7 लेवल-2 एवं लेवल-1 में विशिष्ट श्रेणी तथा पदस्थापन स्थान का निर्धारण पैनल निर्णीत होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 14.8 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अस्थायी (प्रोविजनल) होगा और यह निर्धारित पात्रता शर्तों एवं अधिसूचना के निर्देशों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।
- 14.9 लिखित परीक्षा/प्रमाण पत्रों के अंक/दस्तावेज़ सत्यापन की तिथियां केवल RRC की वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर ही सूचित की जाएंगी।
- 14.10 **हिन्दी व अंग्रेजी संस्करणों में जारी अधिसूचना में कोई अंतर होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।**
15. **प्रतिरूपण/ तथ्यों को छुपाना चेतावनी-**
- 15.1 कोई भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण (Impersonation) का प्रयास न करे या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता न ले। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती सेल परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया

जाएगा तथा रेलवे में किसी भी नियुक्ति से वंचित किया जाएगा। साथ ही, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

- 15.2** यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त करने या किसी लाभ (जैसे परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा) के लिए तथ्यों को छुपाता है या जाली प्रमाण पत्र/ जाली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसकी उम्मीदवारी उस भर्ती के लिए अस्वीकार कर दी जाएगी। साथ ही, उसे देशभर में सभी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती सेल परीक्षाओं से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- 15.3** निम्न स्थितियों में अभ्यर्थी को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती सेल परीक्षाओं से निर्धारित अवधि/आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है-

- (i) एक ही पद एवं श्रेणी के लिए अलग-अलग समुदाय (Category) के साथ कई आवेदन करना
(ii) एक ही पद एवं श्रेणी के लिए अलग-अलग फोटो (चेहरा) के साथ कई आवेदन करना
(iii) एक ही पद एवं श्रेणी के लिए अलग-अलग दस्तावेजों के साथ कई आवेदन करना

चेतावनी:-दलालों और नौकरी दिलाने वाले ठगों से सावधान रहें, जो रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रभाव या अनैतिक/अवैध तरीकों से झूठे वादे करके धोखा देने की कोशिश करते हैं। रेलवे भर्ती सेल ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्तियों/ एजेंसियों के दावों से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाता है। कृपया ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फँसें।
जो अभ्यर्थी सीधे या परोक्ष रूप से रेलवे भर्ती सेल को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

संक्षेप (Abbreviations):-

(1)	SC – अनुसूचित जाति	(7)	PwBD - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति
(2)	ST – अनुसूचित जनजाति	(8)	NWR – नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे
(3)	OBC -अन्य पिछड़ा वर्ग	(9)	RRC – रेलवे भर्ती सेल
(4)	UR – अनारक्षित	(10)	RRB – रेलवे भर्ती बोर्ड
(5)	EWS - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	(11)	DV – दस्तावेज सत्यापन
(6)	EBC - आर्थिक रूप से पिछड़ा अभ्यर्थी	(12)	CBT – कंप्यूटर आधारित परीक्षा

Sd/-

चेयरमेन/आरआरसी
उत्तर पश्चिम रेलवे

संलग्न: अनुलग्नक – 1, 2, 3, 4, 5, 6(A), 6(B), 6(C), 6(D), 7, 8 एवं 9।

अभ्यर्थियों को उचित प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है तथा सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अध्याय 13 के अनुसार अनिवार्य है। चूंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गलत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

अजा/ अजजा अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो के पुत्र/पुत्री हैं और
..... गाँव/शहर/जिला/डिविजन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
..... के निवासी हैं, वे जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951;

संविधान (अनुसूचित जनजातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित)

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार।

2. यह उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू होता है जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में चले गए हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती* (जो श्री/श्रीमती/कुमारी के पिता/माता* हैं और गाँव/कस्बे* जिले/डिविजन* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* के निवासी हैं) को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जा रहा है। वे जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाण-पत्र द्वारा तारीख को जारी किया गया था।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार आम तौर पर गाँव/कस्बे* जिले/डिविजन* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में रहते हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

पद.....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश.....

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें। % उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता है।

नोट: (a) यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द "आमतौर पर निवास करना" (ordinarily reside(s)) का वही अर्थ होगा जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. तहसीलदार के पद से नीचे के न होने वाले राजस्व अधिकारी।
4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता है।
5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिन पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के प्रति-हस्ताक्षर हों।
6. प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* जो श्री/श्रीमती* के पुत्र/पुत्री* हैं और गाँव/कस्बे* ज़िले/डिविज़न* (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) के निवासी हैं, वे समुदाय से संबंधित हैं। इस समुदाय को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव संख्या (दिनांक) के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है**

श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका परिवार आम तौर पर राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के ज़िले/डिविज़न में रहते हैं।

इसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के OM नंबर 36012/22/93-Estt.(SCT) (दिनांक 08/09/93) और GOI DOPT OM नंबर 36033/1/2013-Estt.(Res.) (दिनांक 13/09/2017) के तहत अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है***।

दिनांक:

ज़िला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त आदि
(कार्यालय की मुहर के साथ)

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

** सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के उस प्रस्ताव (Resolution) का विवरण देना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति को OBC के रूप में बताया गया है।

*** समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार।

नोट:

a) यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द 'आमतौर पर निवासी' (Ordinarily resides) का वही मतलब होगा जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Representation of the People Act, 1950) की धारा 20 में है।

b) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्ट्राइपेडियरी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्ट्राइपेडियरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी (जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो) और उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या-..... के तहत पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा किए जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप।घोषणा

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री, ग्राम/कस्बा/नगर जिला राज्य का निवासी/निदेशक, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं (अपनी उपजाति का उल्लेख करें) समुदाय से संबंध रखता/रखती हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Est.(SCT) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 और उसके बाद के संशोधनों की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ। कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना (आरक्षित) दिनांक 13.09.2017/स्थान: _____

स्थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख : उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर :

आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला आय प्रमाण-पत्र।

1. उम्मीदवार का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. आयु : _____
4. आवासीय पता : _____
5. वार्षिक पारिवारिक आय : _____
(शब्दों एवं अंकों में)
6. जारी करने की तिथि : _____
7. हस्ताक्षर : _____
(नाम) _____
8. जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर : _____

नोट – आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से अभिप्राय ऐसे अभ्यर्थियों से है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं—

- (i) जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (ii) लोकसभा के वर्तमान सदस्य (सांसद) अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के लिए।
- (iii) बीपीएल कार्ड अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी अन्य प्रमाण-पत्र, अथवा
रेलवे द्वारा जारी "इज्जत एमएसटी"।
- (iv) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के संबंध में रेलवे भर्ती कक्ष को सिफारिश कर सकते हैं।
- (v) राज्यसभा के वर्तमान सदस्य (सांसद) उस जिले के निवासियों के लिए, जहाँ वे सामान्यतः निवास करते हैं।

रोजगार सूचना संख्या 01/2026 (S&G/RRC/NWR) के अंतर्गत अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

“मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी _____, गली _____, ग्राम/नगर/शहर _____, जिला _____, राज्य _____ यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं _____ (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/पारसी) से संबंधित हूँ।”

स्थान : _____

दिनांक : _____

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : _____

अभ्यर्थी का नाम : _____

नोट: दस्तावेज सत्यापन के समय, परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र' (शपथ पत्र) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (जैसे मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/बौद्ध/पारसी) से संबंधित हैं।

फॉर्म - V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(अंग विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन तथा दृष्टिहीनता के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखाई दे) दिव्यांग व्यक्ति का

प्रमाण पत्र संख्या: _____ दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सावधानीपूर्वक

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
जन्मतिथि _____ (DD/MM/YYYY) आयु _____ वर्ष, लिंग _____ पंजीकरण संख्या _____
निवासी मकान संख्या _____, वार्ड/ग्राम/गली _____ डाकघर _____, जिला _____,
राज्य _____ का परीक्षण किया है, जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(A) वे निम्नलिखित में से एक श्रेणी में आते हैं:

- चलन संबंधी दिव्यांगता
 - बौनापन
 - दृष्टिहीनता
- (जो लागू हो, उस पर ✓ लगाएँ)

(B) उनके मामले में निदान है: _____

1. वह% (अंकों में) प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी चलन संबंधी विकलांगता / अंधता/ बौनापन जो उसके/उसकी शरीर के भाग से संबंधित है। (जिन्हें निर्दिष्ट किया जाना है) निर्देशों के अनुसार-
2. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

दस्तावेज/अंगूठे का निशान
(जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है)

(अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर)

फॉर्म - VI
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु-दिव्यांगता के मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखाई दे) दिव्यांग व्यक्ति का

प्रमाण पत्र संख्या: _____ दिनांक: _____

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने सावधानीपूर्वक श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ जन्मतिथि _____ (DD/ MM/ YYYY) आयु _____ वर्ष, पुरुष/स्त्री _____ पंजीकरणसंख्या _____ निवासी मकान संख्या _____, वार्ड/ग्राम/गली _____ का परीक्षण किया है, जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, और हम संतुष्ट हैं कि:

(A) वे बहु-दिव्यांगता के मामले में आते हैं। उनकी स्थायी शारीरिक अक्षमता/ दिव्यांगता का आकलन निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार (निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) किया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक/मानसिक दिव्यांगता (%)
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2	मस्क्युलर डिस्ट्रोफी			
3	कुछ रोग से मुक्त			
4	बौनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	कम दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बधिर	£		
10	कम सुनाई देना	£		
11	वाणी एवं भाषा विकार			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट अधिगम विकार			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक रोग			
16	दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसन रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(B) उपरोक्त के आधार पर, उनकी कुल स्थायी शारीरिक दिव्यांगता (निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) इस प्रकार है:

अंकों में _____ प्रतिशत, शब्दों में _____ प्रतिशत

1. यह स्थिति प्रगतिशील/ अप्रगतिशील/ सुधार की संभावना/ सुधार की संभावना नहीं है।

2. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) _____ वर्ष _____ माह बाद अनुशंसित है, और यह प्रमाण पत्र _____ (DD/MM/YYYY) तक मान्य रहेगा

@ उदाहरण: बायां/ दायां/ दोनों हाथ/ पैर, # उदाहरण: एक आंख/दोनों आंखें, £ उदाहरण: बायां/ दायां/ दोनों कान

3. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी का विवरण

4. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

--	--	--

सदस्य का नाम एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर

अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र (फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त) [नियम 18(1) देखें] (प्रमाण पत्र जारी करने वाली चिकित्सीय प्राधिकरण का नाम और पता)	हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखाई दे (दिव्यांग व्यक्ति का)
--	--

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ कुमारी/ श्रीमती..... पुत्र पुत्री श्री/ पत्नी/.....जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष) वर्ष, लिंग/पुरुष : महिलापंजीकरण संख्यास्थायी निवासी मकान संख्या :....., वार्ड/ गांव/ गली.....जिनका फोटो ऊपर संलग्न है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उनकी स्थायी शारीरिक अक्षमतादिव्यांगता की सीमा, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक अक्षमता(%) मानसिक दिव्यांगता/
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग (ठोका हुआ)			
4	सेरेब्रल पाल्सी			
5	एसिड अटेक पीड्रिट			
6	कम दृष्टि	#		
7	बधिर	£		
8	कम सुनने की क्षमता	£		
9	वाणी एवं भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बीमारी			
14	दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसन रोग			
17	हैमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

- (A) उपरोक्त के आधार पर, निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी कुल स्थायी शारीरिक अक्षमता: अंकों में प्रतिशत शब्दों में: प्रतिशत
2. यह स्थिति प्रगतिशील है / सुधार की संभावना नहीं है/ सुधार की संभावना है / अप्रगतिशील है
3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन-
- (i) आवश्यक नहीं है, अथवा
- (ii) वर्ष माह के बाद अनुशंसित है, अतः यह प्रमाण पत्र दिन माह/वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ जैसे: बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर, # जैसे, एक आंख/दोनों आंखें £ जैसेबायां/दायां/दोनों कान :

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित प्रतिहस्ताक्षर तथा मुहर]]— सौएमओ(सरकारी अस्पताल के प्रमुख के/मेडिकल अधीक्षक/ उस स्थिति में जब प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी कर्मचारी नहीं है [(मुहर सहित)	
--	--

दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

नोट: यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब इसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (काउंटरसाइन) किया गया हो। मुख्य नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O. 908(E), दिनांक 31 दिसंबर 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्क्राइब के उपयोग हेतु घोषणा पत्र (Letter of Undertaking)

नोट: दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार / वे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति सेरेब्रल पाल्सी / मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण प्रभावित है / एक हाथ से संबंधित चलन दिव्यांगता वाले उम्मीदवार / बौद्धिक दिव्यांगता (ऑटिज़्म, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता एवं मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा के पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर
3. CBT केंद्र का नाम
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता
5. दिव्यांगता का प्रकार
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब की जन्म तिथि
8. स्क्राइब के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता:
 - (a)स्थायी पता
 -
 -
 -
 - (b)वर्तमान पता
 -
 -
10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता
11.
- उम्मीदवार से स्क्राइब का संबंध (यदि कोई हो)

यहाँ लेखक का हाल ही (स्क्राइब) का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोचिपकाएँ, जिसका आकार 3.5 सेमी × 4.5 सेमी हो।(रंगीन फोटो) 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

स्क्राइब के हस्ताक्षर ऊपर दिए गए (लेखक) फोटो के नीचे वाले बॉक्स में करें।

12. घोषणा -

- i) हम यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। हमने रेलवे भर्ती सेल द्वारा स्क्राइब की सहायता से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम यह घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि ऐसा नहीं है, तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम यह घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है और न ही करेगा।

.....
(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

.....
(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उम्मीदवार का बायां अंगूठा निशान
(ऊपर दिए गए बॉक्स में)

स्क्राइब का बायां अंगूठा निशान
(ऊपर दिए गए बॉक्स में)

वीक्षक (Invigilator) के हस्ताक्षर

भारत सरकार /राज्य सरकार
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या: _____

दिनांक: _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
_____ के स्थायी निवासी _____, गांव/गली
_____, डाकघर _____, जिला _____, राज्य/केंद्र शासित
प्रदेश _____, पिन कोड _____ जिनका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(EWS) से संबंधित हैं, क्योंकि उनके परिवार की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए ₹8,00,000 (रुपये
आठ लाख मात्र) से कम है।

उनका परिवार निम्नलिखित संपत्तियों*** का स्वामी/धारक नहीं है:

1. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
 2. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 3. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 4. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
2. श्री कुमारी/श्रीमती/_____ ऐसी जाति से संबंधित हैं जो अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग - केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम: _____

आवेदक का हालिया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल होंगे जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

नोट 2: "परिवार" में शामिल हैं - आवेदक, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

नोट 3: "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़कर (क्लब करके) EWS स्थिति निर्धारित की जाएगी।

सक्रियता प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या: _____

दिनांक: ___ / ___ /

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____
 _____(राज्य/जिला/विभाग) के निवासी हैं तथा पिछले 05 (पाँच) वर्षों से समूह के सक्रिय सदस्य हैं,
 जो राज्य/जिला संघ में विधिवत पंजीकृत है।

ग्रुप लीडर के हस्ताक्षर
 (स्काउट / गाइड)

जिला संगठन आयुक्त (गाइड/स्काउट) के
 हस्ताक्षर

नाम : _____

नाम : _____

दिनांक : _____

दिनांक : _____

रबर मोहर :

रबर मोहर :

जिला संगठन आयुक्त के हस्ताक्षर (गाइड/स्काउट)

नाम : _____

दिनांक : _____

रबर की मोहर:

भाग लिए गए कार्यक्रमों का विवरण

आवेदक का नाम: _____

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	
			(से)	(तक)
राष्ट्रीय कार्यक्रमों/राष्ट्रीय जंबोरी (सभी भारतीय रेलवे कार्यक्रमों सहित) में भागीदारी/सेवा				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
राज्य स्तरीय कार्यक्रमों/रैलियों में भागीदारी/सेवा				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
राष्ट्रीय/राज्य/सभी भारतीय रेलवे स्तर पर विशेष स्काउट/गाइड कोर्स का आयोजन				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
ज़िला रैलियों में भागीदारी				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

नोट: विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होना चाहिए तथा प्रमाण पत्र भी राज्य/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

घोषणा: "उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है और मैं अवगत हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह गलत पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

उपरोक्त के संबंध में, पैराग्राफ 1.2 में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी जिनका विवरण परिशिष्ट-9 में दिया गया है तथा उन्हीं के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक: _____

स्थान: _____